

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:- ५३ / 11-सी-FP/UP/Others/19811/2016, लखनऊ, दिनांक: जुलाई ०५, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अंतर्गत में कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 3.79 है0 आरक्षित वनभूमि को पूर्व में आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में में ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग करने हेतु 25 वर्षों (दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2038 तक) की लीज नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भ:-

आपका पत्रांक-5467 / मी0क्षे0 / 33, दिनांक 23.06.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

- प्रस्ताव में संलग्न हार्डकापी भाग-2 के क्रमांक-6 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जबकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उल्लंघन किया गया है। अतः सही स्थिति का उल्लेख कर संशोधित हार्डकापी भाग-2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें तथा ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में भी अपलोड करें।
- ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-12 में उल्लंघन का विवरण फीड नहीं है।
- ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व में दी गयी समतुल्य गैर वनभूमि का विवरण, Geo Referenced Digital Map & SoI Toposheet भी अपलोड किया गया है। अतः इसे डिलिट कर वर्तमान में प्रस्तावित CA से सम्बन्धित विवरण, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet & km1 file अपलोड करें।
- प्रस्ताव में दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना भारत सरकार के पत्र दि0 29.01.2018 के पैरा-C में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संलग्न कर प्रेषित किया गया है, जबकि विषयगत प्रकरण में लीज अवधि दिनांक 31.03.2013 को समाप्त हो चुकी है। इसके उपरान्त भी प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग किया जा रहा है। अतः इस संबंध में भारत सरकार के पत्र दि0 29.01.2018 के पैरा-B में दिये गये प्राविधानों का भी परीक्षण कर बिन्दुवार अपनी स्पष्ट आख्या अभिलेखों सहित प्रस्ताव में संलग्न करे तथा तदानुसार संशोधित दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
- प्रस्ताव के साथ संलग्न पेन ड्राइव में पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखों की अलग-अलग पी०डी०एफ० फाइल अपलोड की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाइल एवं प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के०एम०एल० फाइल पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

H
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
Jew उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:- ५३ / 11-सी-FP/UP/Others/19811/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
- अधिकृत प्रतिनिधि, में० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट।

ak

H
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
Jew उ0प्र0, लखनऊ।

